

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (याँ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 3.3.15

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	132.681

कुल आवंटित राशि — रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख अड़सठ हजार एक सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध ₹ 6251.36 लाख (बासठ करोड़ एक्यावन लाख पैंतीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

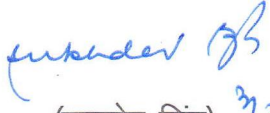
(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. 15.11.2000 के बाद के बकाया के भुगतान मद में आवंटित राशि में से यदि राशि शेष रह गई हो तो अवशेष राशि से अन्य कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जा सकेगा।
13. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

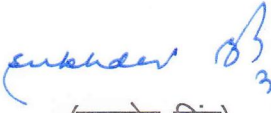

(सुखदेव सिंह) 3/3
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 257

राँची, दिनांक :- 3-3-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

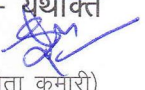

(सुखदेव सिंह) 3/3
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 257

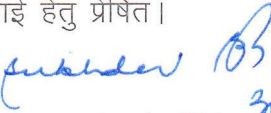
राँची, दिनांक :- 3-3-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह) 3/3
प्रधान सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-खोदानापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक..... 257 दिनांक..... 2-8-15 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2014-2015		विरुत्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विरुत्त शीर्ष-02-यात्रा व्यय						विरुत्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुत्त शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुत्त शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०पी०	15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि	विकेस्ता प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति											
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन अवधरण आवंटन	67.290 0.000 67.290	0.000 0.000 0.000	2.000 0.000 2.000	0.000 0.000 0.000	1.400 0.000 1.400	0.750 0.050 0.800	0.000 0.000 0.000	0.400 0.050 0.450	0.000 0.000 0.000	1.900 0.200 2.100	0.000 0.000 0.000	73.740 0.300 74.040											
	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	47.000 0.000 47.000	0.000 0.300 0.300	0.000 0.000 0.000	0.700 -0.304 0.000	0.800 0.000 0.800	1.000 0.100 1.100	0.400 0.050 0.450	0.000 0.000 0.000	2.100 0.200 2.100	0.000 0.000 0.000	51.800 0.346 52.146												
	आयोजन एवं मौनित प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	109.000 0.000	0.000 0.000	0.932 0.000	0.514 0.150	0.400 0.050	0.000 0.100	0.050 0.050	0.000 0.375	0.000 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	110.896 0.825											
3	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 0.000	0.000 0.000	20.021 0.000	1.200 0.100	0.400 0.000	0.100 0.050	0.100 0.050	0.450 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	182.171 0.150												
	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	25.000 -1.740	0.150 -0.150	2.400 0.000	0.800 -0.200	0.600 0.050	0.600 0.000	0.070 0.050	0.000 0.000	1.200 0.100	0.000 0.000	30.820 -1.890												
5	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	154.690 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.690 0.100	0.600 0.050	0.200 0.100	0.050 0.050	0.700 0.000	1.200 0.200	0.000 0.000	158.130 0.500												
	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	269.317 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.400 0.000	0.500 0.100	0.500 0.100	0.150 0.050	1.225 0.000	1.100 0.200	2.280 0.000	275.572 0.400												
7	अवधरण आवंटन	269.317	0.100	0.000	0.000	0.400	0.550	0.600	0.200	1.225	1.300	2.280	275.972												

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति सोहन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2014-2015			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क0 सं0	कार्यालय का नाम	वेतन	एल0टी0सी0	15.11.2000 के बाद का वेतनादि	विकिस्ता प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत			कुल योग	अभियुक्ति							
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
8	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	280.000 30.000	0.200 0.000	0.770 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.550 0.050	0.500 0.100	0.150 0.050	1.250 0.000	1.200 0.200	0.100 0.000	285.520 30.400								
9	रूपकण एवं मोनिंग प्र0, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	38.890 -5.350	0.000 0.000	0.000 0.000	0.670 0.100	0.400 0.050	0.250 0.050	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.000 0.200	0.100 0.000	315.920 40.210								
10	रूपकण प्रमंडल सं.-1, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	226.040 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.450 0.050	0.300 0.000	0.000 0.100	0.000 0.930	0.200 1.300	0.000 0.100	0.000 0.000	35.260 229.820								
11	रूपकण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	152.199 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.300 0.050	0.000 0.000	0.100 0.050	0.750 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.000	153.749 0.200								
12	लेखा कार्या0, झलतनगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	3.000 7.720	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.200 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.025	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	3.200 7.945								
13	लेखा कार्या0, देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	11.000 3.670	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.200 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	11.145 3.920								
14	लेखा कार्या0, राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	14.000 30.890	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.200 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	15.120 31.140								
15	वित्त पद0, स्वप्नरेखा परि0, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	27.000 62.620	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.175	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	27.200 63.195								
	अतिरिक्त आवंटन का योग	127.810	0.150	0.000	0.000	0.846	0.650	0.550	0.500	0.675	1.500	0.000	0.000	132.681								

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

एक करोड़ बत्तीस लाख अठसठ हजार एक सौ मात्र

(श्वेता कुमारी)

(मुक्ति सोहन चौरसिया)

(सुखदेव सिंह)

सहायक अभियंता

उप सचिव (अभि.)

प्रधान सचिव